

संख्या : 958/मा०सं०(०४)/उ०नि०लि०/2023-3(7)-मा०सं०(०४)/2019

दिनांक : 16 जून, 2023

### कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० के निदेशक मण्डल की दिनांक 02.06.2023 को सम्पन्न हुई 46वीं बैठक के एजेण्डा आईटम संख्या-46.7 पर लिये गये निर्णय के अनुपालन में जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्माण भत्ते के रूप में प्रतिमाह मूल वेतन का 5 प्रतिशत (न्यूनतम ₹3000/- प्रतिमाह) अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त भत्ता स्थगित किये जाने की तिथि 01.07.2020 से परियोजना की प्रथम इकाई के वाणिज्यिक भार पर आने तक ही लागू रहेगा तथा उसके उपरान्त उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० की अन्य परियोजनाओं की भाँति उत्पादन प्रोत्साहन भत्ता की तत्समय लागू व्यवस्था प्रभावी कर दी जायेगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या : 958/मा०सं०-०४/उ०नि०लि०/2023 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2- निदेशक (तकनीकी/वित्त/कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/परियोजना एवं वाणिज्य), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ आफिसर/निजी सचिव।
- 3- मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, मलावन (एटा)।
- 4- महाप्रबन्धक (मा०सं०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 5- कम्पनी सचिव, जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 02.06.2023 को सम्पन्न हुई 46वीं बैठक के एजेण्डा आईटम सं०-46.7 पर लिये गये निर्णय के सन्दर्भ में।
- 6- उप महाप्रबन्धक (लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 7- उप मुख्य लेखाधिकारी, के०वि०ले० एवं ब०सं०, जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि०, मलावन (एटा)।
- 8- कट् फाइल।

आज्ञा से,

  
16/06/23

(तरुण कुमार जैन)

अधीक्षण अभियन्ता (मा०सं०-०४)

एवं नोडल अधिकारी

जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड